<u>न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं</u>

पीठासीन अधिकारी, ::: मांगेराम पूनियां R.T.S.

मिसल नं. ::: 72/2017

सरकार बनाम विद्यानन्द पुत्र रणजीत सिंह, जाति–जाट, निवासी–रूपपुरा।

<u>राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत</u>

निर्णय दिनांक 31.07.2017

<u>निर्णय</u>

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल स्वयं अनुपस्थित। गैर सायल की ओर से उसका भाई सत्यानन्द उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल विद्यानन्द पुत्र रणजीत सिंह, जाति–जाट, निवासी–रूपपुरा द्वारा रोही मौजा रूपपुरा की राजकीय भूमि ख.नं. 161 कुल रकबा 0.10 है0 किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 35 वर्गमीटर भूमि पर मिट्टी की डोल व छड़ी लगाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से उसके भाई सत्यानन्द ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि शिकायत झूठी है, रास्ता मौके पर खुला हुआ है। गैर सायल की ओर से प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नही माना जा सकता। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 24 पर
वर्ष 2017-18 में रूपये 5/- कायम कि.
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़